

न्यायालय जिला कलक्टर (रसद) अजमेर जिला अजमेर

खाद्य सुरक्षा अधि० अपील सं. 10/2017

आनन्द कुमार पुत्र भीमाराम निवासी भगवान गंज, पुलिस चौकी के सामने वाली गली,
हजारी बाग, अजमेर (राज०)अपीलार्थी

बनाम

उप खण्ड अधिकारी, अजमेर, जिला-अजमेर (राज०)

.....प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

आदेश


दिनांक - 23.08.2017

अपीलान्त द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी अजमेर के यहाँ प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा नगर निगम अजमेर की जांच एवं आयुक्त नगर निगम, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राज्य सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के परिपत्र 2.2.15 की समावेशन सूची "अ" श्रेणी में सम्मिलित नहीं होने के कारण आदेश दिनांक 30.12.2016 के द्वारा अपील खारिज की गई। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उप खण्ड अधिकारी, अजमेर से टिप्पणी मय रेकार्ड प्राप्त की गई। प्रार्थना पत्र/अपील एवं उप खण्ड अधिकारी, अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का मय रेकार्ड अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/द्वितीय अपील के साथ अपीलान्त द्वारा अपनी पत्नी शारदा देवी का भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान हिताधिकारी पंजीयन की अप्रमाणित छाया प्रति पेश की है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर प्रकरण, प्रस्तुत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान हिताधिकारी पंजीयन (शारदा देवी/आनन्द कुमार) की छाया प्रति के उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पुनः जाँच कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.08.2017 को सरे इजलास

सुनाया गया।



(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर(रसद)
अजमेर